वर्ष:3 नवम अंक जनवरी–मार्च, 2014

अनुसूचित जाति वाणी
त्रैमासिक ई-पत्रिका

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
नई दिल्ली

अनुसूचित जाति वाणी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की त्रैमासिक ई-पत्रिका

वर्ष:3 नवम अंक जनवरी-मार्च, 2014

विषय-सूची पृष्ठ

- मुख्य संरक्षक:

डॉ. पी.एल. पुनिया,
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- संरक्षक:

डॉ. जे.एन. चैम्बर,
सचिव,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- मुख्य सम्पादक :

श्री संतोष कुमार दुबे,
अवर सचिव,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- सम्पादक :

श्री मांगे राम,
सहायक निदेशक(राजभाषा),
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- समन्वयक:

श्री पी. गोपालकृष्णन भट्ट
अनुभाग अधिकारी,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- अपने लेख एवं सुझाव भेजें: सम्पादक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वाणी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कमरा नं. 314-ए1, तृतीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-03

1. सम्पादकीय
2. नववर्षाभिनन्दन
3. सुभाषित
4. दलित महिलाओं पर अत्याचार
5. Eradication of Manual Scavenging
6. A Successful Story
7. दिनांक 8-9 अक्तूबर, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आयोजित "अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय जागरुकता कैम्प" की कार्रवाई का रिकार्ड
8. प्रेरक व्यक्तित्व- श्री कांशीराम
9. तालिका
10. शैक्षिक जानकारी
11. सतरंगी त्योहार ï होली
12. विज्ञान- मानव क्लोनिंग
13. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति
14. निवेदन
15. डॉ. अम्बेडकर

संपादकीय

नए साल को अपने जीवन में धारते हुए हमें कितना गंभीर होकर अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर सोचना चाहिए, इस अपेक्षा पर क्या हम कभी विचार कर पाते हैं। नया साल अपने समाज, राष्ट्र और इनमें निवास कर रही प्रत्येक सामाजिक इकाई की मानसिकता में भी नयापन लेकर आता है। इसे जानना आवश्यक है। आज दलित भयमुक्त होकर समाज में फैले हुए छुआछूत, जात-पात और ऊंच-नीच की अनुचित परंपराओ को चुनौतीं देने के लिए उठ खड़ा हुआ है। हालांकि इस समुदाय में एकता का अभाव है। इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर ने इन्हें संगठित होने का संदेश दिया था। भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों की संख्या काफी बड़ी है और इन्हें संगठित होकर चुनौतियों का सामना करने की जरुरत है।

दलितो के अन्दर सदियों से जड़ जमाए बैठी छुआछूत की हीन भावना को दूर करना चाहिए। समाज में छोटी समझी जाने वाली जातियों को सम्मान दिया जाना चाहिए। उच्च वर्ण के लोगों को इसकी पहल करनी चाहिए। तभी इनमें आत्म विश्वास का संचार होगा। उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। एक शोषणविहीन समतावादी समाज की संकल्पना की जानी चाहिए। आधुनिक भारतीय समाज में इसकी अपेक्षा की गई है। दलितों के अंदर बैठी हुई हीन भावना का एक मुख्य कारण यह है कि ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे काम कर रहे थे जिन्हे छोटा या हीन कर्म माना जाता था और ज्यादातर मामलों में जो जिस जाति में पैदा हुआ वह पीढ़ी दर पीढ़ी वही जाति

कर्म करने में अभिशप्त रहा। इनकी छोटी जाति का अहसास इनमें हीनता की भावना पैदा करता है।

यदि कोई दलित सरपंच बन भी गया तो वह सामंतवादी लोगों के दबाव में आकर, पीड़ित दलित के पक्ष में न बोल कर ऊंची जातियों के आधार पर टिप्पणी करता है या चुप रहता है। दलितों को समाज और संगठन से जुड़ कर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए और अपने फैसले खुद ही करने चाहिए। ऊंची जाति के लोगों के प्रभाव में आकर नहीं। इस लडाई में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास का मुद्दा उठाएं। भारतीय समाज में सिर पर मैला उठाते हुए लोगों को देखा जाता है। परन्तु किसी के मन में मैला उठाने वालों के प्रति संवेदना नहीं जगती। जबकि मनुष्य द्वारा मनुष्य का मल-मूत्र उठाने का मामला राष्ट्रीय शर्म की बात है। दलित स्त्रियों के साथ खुले आम अभद्रता एवं हिंसा के मामले होते रहते हैं ।

अब समय आ गया है कि दलितों को आंखे खोलकर और सीना ठोंककर अत्याचारों का सामना करना होगा अपने मान-सम्मान तथा हक की लड़ाई लड़नी होगी।

पाठकों को नये वर्ष की शुभकामनाएं।

नवर्षाभिनन्दन

नववर्ष की शुभकामनाएं
अपनों संग नए हों सपने,
नई कस्में नए हो वादे,
नई राह हो नई हो चाह,
नई आस, नया हो विश्वास,
उम्मीद पूरी हो साथ-साथ,
मांगी है दुआ, नया साल हो खास

******

नया साल आया बनकर उजाला
खुल जाए आपकी किस्मत का ताला
हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला
यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला
नया साल मुबारक

सुभाषित

इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है । निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं जोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो ।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती ï सूरज, चन्द्रमा और सत्य ।
खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, सामंजस्य में हो ।

महात्मा गांधी

महान सपने देखने वालों के महान सपने पूरे होते हैं ।

अब्दुल कलाम

साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं ।

अब्राहम लिंकन

सफलता एक घटिया शिक्षक है । यह लोगों में यह सोच विकसत कर देती है कि वो असफल नहीं हो सकते ।

बिल गेट्स

अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व का नित्मान कर सकते हैं ।

दलाई लामा

खंड–II

दलित महिलाओं पर अत्याचार

दलित महिलाएं उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वैद्यता के कारण हिंसा के कई रूपों का शिकार बनती है । उन्हें जाति और लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें जाति, लिंग और वर्ग पदक्रम में सबसे निम्न स्तर पर रखा जाता है । भारत में हालांकि हमारे पास दलित महिलाओं को भेदभाव और हिंसा से सुरक्षित करने के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षण है वे सभी लागू करने वाली एजेंसियों के भीतर जाति और लिंग आधारित पक्षपात की गहरी जड़ों के कारण अप्रभावी रहे हैं । वे अत्यधिक भेद्य है क्योंकि वे सामाजिक रूप से बहिष्कृत है और उन्हें संसाधानों तक पहुंचने की मनाही है और उनमें प्रभावी राजनीतिक प्रतिभागिता का भी अभाव है । वे भूमिहीन कृषि मजदूर और असंगठित मजदूरों का बहुमत बनाते हैं जो उन्हें प्रभावशाली जातियों, जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, उन पर निर्भर बनाते है और उन्हें असुरक्षित बनने पर मजबूर करते हैं ।

दलित समुदायों में दलित महिलाओं को जाति और लिंग भेदभाव के अधिक बोझ का सामना करना पड़ता है । दलित महिलाएं अपने समुदाय और उनके परिवारों और सामान्य समुदाय के व्यवस्थित उत्पीड़न और संरचनात्मक हिंसा का शिकार बनती है । दलित महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार और हिंसा इस व्यवस्थित जाति और लिंग भेदभाव को लागू करने के माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और जब वे जाति और लिंग नियमों को चुनौती देती है तो उन्हें दण्ड दिया जाता है ।

सामान्य समुदाय और विशेषकर दलित महिलाओं के अधिकारों के अभिकथन को समाप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है । उनकी सामाजिक-आर्थिक भेद्यता सहित महिला और दलित होना उन पर हिंसा की घटनाओं को भी बढ़ाती है । अनुसंधान अध्ययन और अन्य उपलब्ध आंकड़े साबित करते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ रही है । परंतु पंजीकृत मामलों की न्यूनतम संख्या और दोषसिद्धि दर का कम स्तर यह तथ्य दर्शाता है कि जब वे हिंसा की शिकार होती है तो दलित महिलाओं को न्याय नहीं दिया जाता । सामाजिक संस्वीकृति और दण्ड मुक्ति के कारण अपराधी बचकर निकल जाते हैं और दलित महिलाएं और अधिक हिंसा की शिकार होती हैं ।

Eradication of Manual Scavenging

The prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 was enacted recently. The Act prohibits construction or maintaining of insanitary latrines and employment or engagement of any person as manual scavenger. The penalty would range from imprisonment upto one year or fine of Rs. fifty thousand or both for first contravention to imprisonment upto two years or fine upto Rs one lakh or both for subsequent contravention. The Act also prohibits engagement of persons for hazardous cleaning of sewer or septic tank. The punishment for contravention of this clause of the act would be imprisonment of upto two years or fine of rs 2 lakh or both for first contravention and imprisonment of upto five years or fine upto 5 lakhs or both for subsequent contraventions.

The Act provides for comprehensive rehabilitation of the manual scavengers in a time bound framework. They would be offered photo identity cards; initial cash assistance; scholarship for therir children; allotment of residential plots with financial assistance for contruction of a house or purchase of ready built house within the framework of the scheme;

training in a livelihood skill; concessional loan with subsidy for taking up alternative occupation as also any assistance to handle legal issues.

A monitoring mechanism has also been provided for by the Act with the District Magistrate/Sub-district levels. The Chief Minister of the state would be Chairperson of the monitoring committee at the state level and the Minister of Social Justice and Empowerment at the central level.

The National Commission for Safai Karamcharis would also act as a monitoring mechanism for effective implementation of the act.

The Act envisages a national survey of manual scavengers in both urban and rural areas and also construction of adequate numbers of sanitary community latrines in urban areas within three years from the date of commencement of the act to eliminate the practice of open defacation.

Source: Yojana Magazine Jan.14

#####

Some Successful Stories

1. Shri Shibanji F/o Varun Yadav represented the Commission that his son was the student of B.Tech (ME Branch) of Sonepat Institute of Engineering & Management during the year of 2010-13 affiliated to Maharishi Dayanand University, approved by AICTE, New Delhi. His son was admitted in this institute through Haryana Council Society under Kashmiri Migrant Quota/SC category in the year of 2010. Now this institute has been closed due to disaffiliation proceeding for the year 2013-14. Thereafter his son has taken admission in Bharat Institute of Technology (BIT) affiliated to Deenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal, Sonepat, Haryana for the academic year 2013-14.

As his son applied for special scholarship scheme for J&K student when he was studying in 3rd year in SIEM, Sonepat, Haryana. Accordingly, All India Council of Technical Education have recommended and amount of Rs.40,000/-as scholarship (Engineering) in the name of his son and this amount has been electronically transferred to SIEM's Bank Account in Bank of Baroda at Pashim Vihar, New Delhi by AICTE on 21.6.2013. Director of SIEM Sonepat, Haryana refused to pay his son's scholarship on the false ground such as that the Account of SIEM has been ceased by Bank of Baroda etc.

The matter was taken up with the Vice-Chancellor, Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal, Sonepat and the Secretary, D/o Hr. Education, Ministry of HRD.

Now petitioner has thanked the Commission that his son has gotten scholarship amount from his college on 10.3.2014 vide a cheque of Bank of Baroda i.e. cleared on 20.3.2014.

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को श्रीमती सुदेश संत, नर्सिंग सिस्टर, जी.बी. पंत अस्पताल, नई दिल्ली एवं अन्य से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जो अस्पताल में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को एएनएस के पद पर पदोन्नति न दिए जाने के बारे में था । आयोग ने इस मामले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के संबंधित प्राधिकारी के साथ उठाया और कई पत्राचार किए । आयोग में मामले की सुनवाई तय की गई और नियमों की अवहेलना पाई गई । इसके बाद, संबंधित विभाग को अनुसूचित जाति के आवेदकों को पदोन्नति के आदेश जारी करने के लिए कहा गया । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दिनांक 10-3-2014 के आदेश का अनुपालन करते हुए संबंधित विभाग द्वारा आवेदकों को पदोन्नति के आदेश जारी किए गए ।

3. आयोग को अनुसूचित जाति की एक महिला श्रीमती तेत्रा देवी धर्मपत्नी श्री रामनारायण शाह से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जो दिल्ली सरकार में कार्यरत बेलिफ एडीएम ऑफीसर (कोतवाली) के रूप में कार्यरत उनके पति को प्रताड़ित करने के बारे में था । आयोग ने मामले को उपायुक्त (केन्द्रीय), दिल्ली के साथ उठाया और कई पत्राचार किए । आयोग में मामले की सुनवाई तय की गई और नियमों की अवहेलना पाई गई । आयोग द्वारा संबंधित विभाग को अनुसूचित जाति की याचिकादाता की शिकायत का निवारण करने को कहा गया । इसके अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट (केन्द्रीय) को सूचित किया गया कि याचिकादाता की शिकायत का निवारण कर दिया गया है और उन्हें बकाये का भुगतान किया गया तथा उनकी छुट्टी नियमित की गई ।

****

A great man is different from an eminent one in that he is ready to be the servant of the society.

– Dr. B.R. Ambedkar

गतिविधियां

दिनांक 8–9 अक्तूबर, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आयोजित "अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय जागरुकता कैम्प" की कार्रवाई का रिकार्ड

दिनांक 8-9 अक्तूबर, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण" पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय जागरुकता कैम्प आयोजित किया गया । इस कैम्प को श्री राहुल गांधी, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, श्री सुशील कुमार शिंदे, केन्द्रीय गृह मंत्री, कुमारी शैलजा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केन्द्रीय मंत्री, श्रीमती लक्ष्मी पानाबाका, राज्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस केन्द्रीय मंत्री, श्री मुकुल वासनिक, महा सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, श्री दामोदर राजा, उप मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश, श्री के. राजू, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति विभाग, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संबोधित किया । इनके अतिरिक्त, जागरुकता कैम्प में डॉ. राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, श्री राजू परमार, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, श्री एम. शिवाना, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य मंत्रियों, डॉ. जे.एन. चैम्बर, सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवी बुद्धिजीवी और माननीय संसद सदस्य, विधायक, भूतपूर्व संसद सदस्य और भूतपूर्व विधायक, छात्र, छात्र नेता उपस्थित थे ।

कैम्प में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया वे निम्नानुसार हैं:-

1. **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए नवीन/नई योजनाएं विशेष रूप से व्यापार, रोज़गार और शिक्षा के संबंध में ।**
2. **एससीपी/एससीएसपी के अन्तर्गत निधि का प्रभावी उपयोग, इसका क्षेत्र और जिम्मेदारी निर्धारित करना ।**
3. **सफाई कर्मचारी समुदाय की दयनीय स्थिति समाप्त करने की आवश्यकता – हाथ से मैला ढोने का उन्मूलन – विस्तृत पहुंच की आवश्यकता ।**
4. **आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की आवश्यकता तथा छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति से संबंधित समस्याएं भी ।**
5. **अनुसूचित जातियों का राजनैतिक सशक्तिकरण ।**

6. **अनुसूचित जातियों और विशेषकर दलित महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए प्रभावी कदम ।**

प्रत्येक समूह में तीन विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए दो समूह बनाए गए । समूह 1 का संचालन श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष और श्री राजू परमार, सदस्य द्वारा किया गया । इस समूह के लिए डॉ. जे.एन. चैम्बर, सचिव संयोजक थे । समूह 2 का संचालन डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष और श्री एम. शिवाना, सदस्य ने किया और श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव द्वारा संयोजन किया गया ।

विषय सं. 1: अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए नवीन/नई योजनाएं विशेष रूप से व्यापार, रोज़गार और शिक्षा के संबंध में ।

<u>व्यापार और रोज़गार</u>

वर्ष 2006-07 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति देश की कुल जनसंख्या का 16.23% हैं परन्तु छुआछूत के कारण अन्य गन्दे कामों और मैला ढोने का कार्य करना, खेतीबाड़ी पर निर्भर होना, दैनिक मजदूरी पर निर्भरता, कमजोर साधन से उत्पन्न कठिन सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित होने के कारण लगातार पीड़ित हैं । अनुसूचित जाति उद्यम पर अनुसंधान नहीं होता और इस विषय पर कम गहराई से अध्ययन किया गया है । इसलिए एलपीजी युग के उपरांत अनुसूचित जाति उद्यम पर अनुसंधान की अत्यन्त आवश्यकता थी और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है। यह न केवल समाज के वंचित वर्ग से गरीबी को दूर करने में मदद करेगा बल्कि यह देश की बढती हुई अर्थ व्यवस्था के लिए उन्हें पूंजी साधन और उत्पादक के रूप में बनाएगा ।

एलपीजी युग के उपरांत सरकारी क्षेत्र संकुचित हो गए हैं जिससे शिक्षित अनुसूचित युवाओं की एक बड़ी संख्या बेरोज़गार हो गई है । यदि अनुसूचित जाति के लोग भारतीय समाज के बड़े भाग के रूप में सम्मानित जीवन पाना चाहते हैं तो यह उचित समय है कि वे आर्थिक रूप से स्वयं को समर्थ बनाएं । व्यापार, व्यवसाय और उद्यम केवल वैश्य और अन्य उच्च जातियों का क्षेत्र और सम्पत्ति रही है । अब अनुसूचित जाति की बारी है।

समूह में सर्वप्रथम इस विषय पर चर्चा की गई जिसमें सारे देश से आए प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त किए । बाद में राजस्थान से आए श्री संजय पहाड़िया ने अन्तिम प्रस्तुतिकरण दिया तथा निम्नोक्त सुझाव दिए गए:-

व्यापार और रोज़गार:

- सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए अलग और विशिष्ट बैंक की योजना बनाई जा सकती है जो कि अनुसूचित जाति के उद्यमियों को अत्यधिक प्रेरित करेगी ।
- केन्द्रीय सरकार को बिना किसी सम्पार्श्विक प्रतिभूति के अपेक्षित गर्भकाल सहित अत्यधिक आर्थिक सहायता प्रदत्त ऋण प्रदान करने की एक स्पष्ट नीति गठित करनी चाहिए ।
- यदि फिर भी सम्पार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता हो तो सरकार को अनुसूचित जातियों के ऋण लेने वालों की ओर से इसे प्रदान करना चाहिए ।
- राज्य में उद्यम उन्नति के लिए कार्पोरेट समूहों को सेज परिकल्पना के अधीन भूमि प्रदान की जाती है। इसमें आरक्षण होना चाहिए । डीआईसीसीआई को शामिल किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति उद्यमियों को भूमि आबंटन के मामले में क्रीमीलेयर परिकल्पना को हटाना चाहिए । यह एक सर्वविदित तथ्य है कि किसी उद्यम को सफल बनाने के लिए प्रबन्धन, निपुणता और समझ के साथ वित्त और संरचना तक पहुंच तथा कच्चा माल, तकनीकी जानकारी और बाजार की जानकारी आवश्यक है ।
- आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलीटेक्निक ने अनुसूचित जाति के तकनीकी व्यक्तियों की कुछ हद तक उपलब्धता आरक्षण के द्वारा सुनिश्चित की है । उन्हें अपना उद्यम चलाने के लिए विशेष उद्यम संबंधी पाठ्यक्रमों को आयोजित करके प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ।
- सरकार को अनुसूचित जाति उद्यमियों को उनका अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए उन्हें भूमि प्रदान करके प्रेरित करना चाहिए और अन्य आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं रियायती दरों पर प्रदान करनी चाहिए ।
- प्रशिक्षित युवाओं को स्थापित कम्पनियों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है ताकि वे उनका अपना उद्यम चलाने में समर्थ हो सके ।
- केन्द्रीय सरकार ने किसानों का ऋण माफ करके दया दर्शाई है । ये वे लोग हैं जिनके पास भूमि है । सरकार को अनुसूचित जातियों पर भी दया रखनी चाहिए जिनके पास कोई भूमि नहीं है । उन्हें भी इसी प्रकार की रियायत दी जानी चाहिए ताकि वे गरीब व्यक्ति भी ऋण से छुटकारा पा सके और लघु ईकाई स्थापित करने के लिए उन्हें ऋण प्राप्त हो सके ।
- एससीपी के अधीन पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार द्वारा नवीनतम तकनीकी की उपलब्धता प्रदान करके अनुसूचित उद्यमियों द्वारा चलाए जाने वाले पावरलूम और हैण्डलूम, चमड़ा उद्योग और जूते बनाने जैसे पारंपरिक व्यवसाय के लिए प्रेरित करना चाहिए । उन्हें आसानी से समय पर कच्चा माल अवश्य मिलना चाहिए । व्यवसायिक और उद्यम क्षेत्रों के लिए आबंटित किए जाने वाले प्लाटों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण होना चाहिए । वे लोग जो कृषि उत्पाद लघु प्रसंस्करण ईकाई जैसे तेल और चावल से भूसा निकालना, फल और सब्जी प्रसंस्करण ईकाई, मछली प्रसंस्करण और केनिंग ईकाई, पशु-पालन और डेरी

स्थापित करना चाहते हैं उन्हें ब्याजमुक्त और आर्थिक सहायता ऋण प्रदान किया जाना चाहिए ।

- सरकारी भंडार खरीददारों में अनुसूचित उद्यम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । बिना किसी विलम्ब के एमएसएमई योजना को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए ।
- अनुसूचित जाति उद्यमियों को मार्किट निपुणता प्रदान करने की आवश्यकता है । अनुसूचित जाति के वे युवा जो अपना स्वयं का व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, उन नवीन उद्यमियों की सहायता करने और उनके विकास में दलित चेम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ।
- एक करोड़ रुपए की अनुमानित लागत, जो कि समय के साथ बढ़ेगी, ऐसे सभी सरकारी अनुबंधों में आरक्षण होना चाहिए ।

शिक्षा:

स्वतंत्रता से पूर्व अनुसूचित जातियां प्राय: शिक्षा से वंचित थीं । एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की स्वतंत्रता के साथ अनुसूचित जातियों के मुरझाए चेहरों पर भी शिक्षा की किरणें पड़ने लगी । तभी से शिक्षित अनुसूचित जातियों की 3 पीढ़ियां हालांकि बहुत कम मुख्य धारा में शामिल हुईं लेकिन उन्होंने स्वयं को सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित रखा ।

अनुसूचित जातियों से संबंध रखने वाले बच्चों की शिक्षा की सम्सामयिक वास्तविकता पर गंभीरता से 2 दिवसीय बैठक में विचार-विमर्श किया गया और उसकी जांच की गई ।

बैठक में उत्पन्न हुए सुझाव निम्नानुसार हैं:-

- सरकारी प्राथमिक स्कूलों में केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और निम्न वर्गीय अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चे भी दाखिला लेते हैं । इन स्कूलों में आधारभूत शिक्षा की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं । सरकार को इन सुविधाओं का उन्नयन करना चाहिए । तिमाही मूल्यांकन भी सुनिश्चित होना चाहिए ।
- आधारभूत शिक्षा में आरंभ से ही अंग्रेज़ी पढ़ाई जानी चाहिए ।
- अनुसूचित जाति विद्यार्थियों सहित कमजोर वर्गों को लागत मुक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रदान करता है । उच्च शिक्षा में दाखिला लेने के लिए अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को मेरिट प्रणाली द्वारा वंचित नहीं किया जाना चाहिए ।

विषय सं. 2: एससीपी/एससीएसपी के अन्तर्गत निधि का प्रभावी उपयोग, इसका क्षेत्र और जिम्मेदारी निर्धारित करना

1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इन वर्गों के लोगों के लिए और उन्हें योजना का लाभ और लागत का उचित भाग प्रदान करने के लिए छठी योजना आरंभ करने के लिए

एससीपी आरंभ की । राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विकास के सभी क्षेत्रों में व्यय और लाभों के प्रवाह को पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) की नीतियों की परिकल्पना करता है और भौतिक और वित्तीय रूप से उनकी जनसंख्या के कम से कम अनुपात में केन्द्रीय मंत्रालय विचार करते हैं । केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में एससीएसपी के अधीन योजनाओं का क्रियान्वयन एकरूपता से नहीं किया गया है । विभिन्न राज्यों ने एससीएसपी के अधीन निधि के उपयोग की मॉनीटरिंग और क्रियान्वयन तथा योजना के लिए प्रभावी तंत्र खोजे बिना विभिन्न तंत्रों को ग्रहण किया है । राज्य सरकार/मंत्रालय उनके निर्धारण भाज्य और अभाज्य घटक के रूप में करते हैं । निर्धारण सिर्फ योजनावार भाज्य घटक के द्वारा किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप, एससीएसपी के वास्तविक चिन्हित कुल राज्य योजना बहुत कम हो जाती है जो कि राज्य की कुल जनसंख्या के अनुसूचित जातियों के प्रतिशत के अनुसार होनी चाहिए थी ।

इस तथ्य के बावजूद एससीएसपी की नीतियां 30 वर्षों से अधिक समय से कार्यप्रणाली में हैं फिर भी समाज के चिन्हित वर्ग तक इस राशि का वांछित लाभ नहीं पहुंच सका है । इसके अतिरिक्त, एससीपी के अधीन आबंटित सभी निधियों और एससीए के अधीन प्राप्त निधियों का प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण उपयोगिता के प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने का अभाव इस संबंध में अन्य विषय है । अनुसूचित जातियों की एक बड़ी संख्या के बीपीएल परिवारों को अभी भी एससीपी के अधीन नहीं लाया गया है ।

समूह विचार-विमर्श के उपरांत, इस विषय पर कर्नाटक के श्री एफ.एच. जक्काप्पानावेर ने अन्तिम प्रस्तुति प्रस्तुत की । समूह द्वारा निम्नोक्त सुझाव/सिफारिशें रखी गईं:

- योजना आयोग द्वारा कार्यालय ज्ञापन और परिपत्र के माध्यम से वर्तमान प्रणाली के दिशा-निर्देश के अधीन एससीपी के लिए संसद अधिनियम के माध्यम से मिशन मोड पर मनरेगा की तरह संसद की मंजूरी होनी चाहिए । भारत सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पारित एससीएसपी पर विधान की तरह एक अधिनियम बनाना चाहिए ।
- एससीपी को नियमित करने के ऐसे विधान में उल्लंघनकर्ताओं को अपराध की गंभीरता पर निर्भर कारावास और जुर्माने दोनों सहित दंड का प्रावधान होना चाहिए । सभी अधिकारी (अनुसूचित जाति/गैर-अनुसूचित जाति को ध्यान में न रखते हुए) क्रियान्वयन और लागू करने के प्रभारी असफलता और चूक के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए । सरकारी आदेश की अवहेलना करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत कार्रवाई होनी चाहिए ।
- एक वर्ष के भीतर अनुसूचित जातियों के विकास के लिए वैधानिक राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरण का गठन । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण (एनएससीडीए) आवश्यकता आधार पर विशिष्ट कार्यक्रमों/परियोजनाओं के प्रभावी उपयोग के लिए एससीपी निधि की सिंगल विंडो होनी चाहिए ।

- 1979 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास एकत्रित एससीपी निधि को अलग रखना चाहिए (क्योंकि यह निधि अपरिवर्तनीय और रद्द नहीं हो सकती) और इसके उपरांत इस निधि को एनएससीडीए को हस्तांतरित किया जाए । एससीपी निधि को लाभकारी योजनाओं जैसे कि अनुसूचित परिवारों में भूमि वितरण के लिए खरीददारी, शिक्षा, आवास और स्वच्छता, पीने का पानी, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और कोचिंग केन्द्रों के माध्यम से सेवा सुरक्षण निपुणता विकास एवं सुरक्षा एनएससीडीए के माध्यम से नागरिक अधिकार संरक्षण एवं अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अधीन खर्च किया जाना चाहिए ।
- सरकारी समिति की सिफारिशों और मानव विकास सूचकांक विकास के अनुसार अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए एससीएसपी का उपयोग प्रत्येक जिले में आवासीय स्कूलों का निर्माण, प्रत्येक जिले में कॉलेज के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, कॉलेज फीस और स्वयं वित्तीय पाठ्यक्रम की प्रतिपूर्ति, मालिकाना हक सहित अनुसूचित जातियों के लिए 100% आवासीय कालोनी, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे, बैंक और राज्य लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेन्टर, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, सीए/आईसीडब्ल्यूए के लिए सम्पूर्ण फीस में वित्तीय सहायता, विधि, चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, पायलट पाठ्यक्रम, पीएचसी, भूमि खरीद और प्रत्येक भूमिहीन अनुसूचित जाति परिवारों में वितरण किया जा सकता है ।
- प्राय: राज्य एससीएसपी के अधीन चिन्हित राशि को अन्य कार्यक्रमों में परिवर्तित कर खर्च करते हैं जो कि अनुसूचित जातियों को विशिष्ट लाभ नहीं पहुंचाती है । इसलिए एससीएसपी के अधीन व्यय पर सख्त निगरानी होनी चाहिए । इस निधि को ऐसी योजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो कि अनुसूचित जातियों को विशिष्ट लाभ जैसे दूधशाला, खेतीबाड़ी, मछली पालन, ग्रामीण कृषि संबंधी उद्यम इत्यादि में इस निधि को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।
- योजना और उपयोजना के अधीन व्यय को राज्य में एक नोडल एजेंसी द्वारा पूर्ण विश्वसनीयता, प्राधिकार और व्यय पर खर्च की जिम्मेदारी के लिए मॉनीटर किया जाना चाहिए ।
- एससीएसपी के अधीन सभी योजनाएं योजना, क्रियान्वयन और मॉनीटर करने की स्थिति पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से होनी चाहिए । अधिक एससीएसपी निधि को कम विकसित क्षेत्रों पर पहले खर्च किया जाना चाहिए और उसके बाद अन्य क्षेत्रों पर ।
- एससीएसपी योजनाओं और प्रावधानों/इसके क्षेत्रों को सभी राजनैतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों को बताया जाना चाहिए ।
- योजना के क्रियान्वयन को पूरा किया जाना चाहिए और उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
- एससीएसपी के अधीन खर्च की जाने वाली राशि को मॉनीटर करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को पर्याप्त रूप से शक्ति प्रदान की जानी चाहिए । विभाग को अनुसूचित जातियों की दयनीय स्थिति पर अनुसंधान करने के लिए तथा राज्यों में

अन्य कमजोर समुदायों के लिए नई योजनाएं आरंभ करने के लिए पर्याप्त रूप से राशि भी प्रदान की जानी चाहिए ।

- सुन्दर बन डेल्टा के विकास के लिए, जो कि देश में अनुसूचित जातियों का उच्चतम स्थान है, उनके लिए एससीएसपी के अधीन एक विशेष योजना होनी चाहिए ।

विषय सं. 3: सफाई कर्मचारी समुदाय की दयनीय स्थिति समाप्त करने की आवश्यकता – हाथ से मैला ढोने का उन्मूलन – विस्तृत पहुंच की आवश्यकता

पृष्ठभूमि: आधुनिक भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकता विरोधाभास की श्रृंखला उजागर करती है । जबकि संसदीय विधि हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाती है और सरकार इस अमानवीय व्यवसाय को दलित वर्गों से दूर करने के लिए परियोजनाएं अनुमोदित करती है फिर भी क्रूर जाति भेदभाव और निर्दयी गरीबी इस कार्य को लगातार जारी रखती है । इसके अतिरिक्त, नव उदार आर्थिक नीतियां एक प्रतिष्ठित जीवन पाने की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रतिबंधित करती है ।

शब्द, "हाथ से मैला ढोना" भारतवर्ष में हाथ से सफाई करना और मानवीय शिष्ट को गैर-फ्लश लैटरीनों से हटाने के दैनिक कार्य को बताता है । कई काम करने वालों, जिनमें अधिकतर महिलाएं और युवा हैं, उन्हें नाईट सोइल वर्कल भी कहा जाता है । यह एक विक्टोरियन भाषा का शब्द है जो अपशिष्ट जैसे शब्द की बुराई को छिपाता है । भारत में हाथ से मैला ढोने का कार्य एक जातिगत व्यवसाय है जो दलितों द्वारा किया जाता है। हाथ से मैला ढोने वालों को देश के विभिन्न भागों में विभिन्न जाति नामों से जाना जाता है जैसे गुजरात में भंगी, आंध्र प्रदेश में पखीस और तमिलनाडु में सिक्कालियार । इन समुदायो को जाति पदानुक्रम में हमेशा सबसे नीचे रखा जाता है । यहां तक कि दलित उप जाति पदानुक्रम में भी सबसे नीचे रखा जाता है । एक झाड़ू, एक टीन की प्लेट और एक ड्रम का प्रयोग करते हुए वे सार्वजनिक और निजी शौचालयों से मानवीय अपशिष्ट साफ करके प्राय: अपने सिर पर ढोकर निपटान स्थानों और डम्पिंग मैदानों तक ले जाते हैं ।

समूह 1 में इस विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और श्री प्रवीण मारु, गुजरात के पूर्व विधायक द्वारा अन्तिम प्रस्तुतिकरण किया गया । उपर्युक्त की कमियों के अधीन इस विषय पर, जिस पर विचार किया गया और विचार-विमर्श के दौरान जो सिफारिशें उत्पन्न हुईं, वे निम्नानुसार हैं:-

- राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर वेतन में असमानताएं समाप्त करने के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग होना चाहिए । आउटसोर्सिंग/अनुबंध पर सफाई कर्मचारियों को लगाने की प्रणाली को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए और पूरे देश में सभी सफाई कर्मचारियों की वेतन संरचना एक समान होनी चाहिए । सफाई कर्मचारियों को अनुबंध प्रणाली से लगाने को तुरन्त रोका जाना चाहिए क्योंकि हरियाणा राज्य में कर्मचारी बहुत कम वेतन, जैसे कि 3,000/- रुपए प्रतिमाह प्राप्त कर रहे हैं ।
- सफाई कर्मचारियों को सभी चिकित्सा सुविधाओं सहित स्वास्थ्य कार्ड दिया जाना चाहिए ।

- सफाई कर्मचारियों के बच्चों से प्राप्त शिक्षा ऋण आवेदनों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और ऋण मंजूरी या ऋण के दौरान किसी प्रकार से परेशानी नहीं होनी चाहिए ।
- सफाई कर्मचारियों को नवीन सुरक्षा तकनीकी के प्रयोग के संबंध में सरकारी/निजी एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ।
- बिना समय गंवाए मलकान समिति रिपोर्ट, 1962 का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए ।
- सफाई कर्मचारियों के उचित पुनर्वास को प्राथमिकता आधार पर किया जा सकता है ।
- सफाई कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उसके परिवार के सदस्यों को वित्तीय क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए ।
- सफाई कर्मचारियों पर एक राय होनी चाहिए ।

विषय सं. 4: <u>आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की आवश्यकता तथा छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति से संबंधित समस्याएं भी</u>

डॉ. सुखबिलास बर्मा, विधायक, पश्चिम बंगाल और डॉ. भारत कुमार, जेएनयू द्वारा प्रस्तुत किए गए समेकित प्रस्तुतिकरण और विवरणात्मक विचार-विमर्श के उपरांत निम्नलिखित सुझाव और सिफारिशें की गईं ।

- सम्पूर्ण भारत में +2 स्तर तक एकल एवं एक समान स्कूल पाठ्यक्रम ।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्येक रिहायश में तथा प्रत्येक आंगनबाड़ी में एक गुणवत्ता शिक्षा होनी चाहिए, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आवासीय स्कूल होने चाहिए और प्रत्येक जिला मुख्यालय में उत्कृष्टता का केन्द्र होना चाहिए । इसका खर्च विशेष घटक योजना निधि से पूरा किया जाना चाहिए ।
- शिक्षा में समानता के लिए बारहवीं कक्षा तक इस योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण केवल सीबीएसई/एनसीईआरटी को करना चाहिए ।
- 10+2 कक्षा के स्तर तक हिन्दी, अंग्रेज़ी और मातृभाषा में मुफ्त और आवश्यक शिक्षा होनी चाहिए । आरटीई, 2005 के अनुसार कोई अलग परीक्षा बोर्ड नहीं होना चाहिए ।
- बारहवीं स्तर तक अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सेवा होनी चाहिए ।
- सभी राज्यों की सहमति से +2 तक स्कूल शिक्षा का राष्ट्रीयकरण ।
- अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए उच्चतम शिक्षा के लिए उदार ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए तक का ऋण (देश में) और 15 लाख रुपए (विदेश में) पढ़ने के लिए ।
- भारत में भी शिक्षा में स्थाई क्रांति होनी चाहिए जैसे कि अफ्रीकन, अमरीकन के लिए यूएसए में की जाती है ।
- अध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण को क्रियान्वित किया जाना चाहिए ।
- आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएम और एनएलएस इत्यादि में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में विषयवार सीटों का आबंटन किया जाना चाहिए । अभी न मांग और न आपूर्ति की स्थिति है ।

- प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतम शिक्षा के आबंटित बजट का 25% अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए आरक्षित किया जाएगा ।
- स्कूल/कॉलेज भवनों सहित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए अनुसूचित जाति के गैर-सरकारी संगठनों को 100% अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी ।
- प्रत्येक तालुक स्थान पर बेहतर संरचना सहित अधिक छात्रावास भवन का निर्माण किया जाएगा ।
- दाखिले के आरंभ में नोडल मंत्रालय को छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति/राशि का संवितरण करना चाहिए ।
- सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लेपटॉप/नोट/आई पैड मुफ्त प्रदान किए जाने चाहिए ।
- अनुसूचित जाति के होनहार विद्यार्थियों को विदेशी शिक्षा के लिए उन्हें विदेश भेजने के विशेष प्रबन्ध होने चाहिएं ।
- मैरिट उन्नयन कोचिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा ।
- विद्यार्थियों को स्कूल/कॉलेज ले जाने के लिए दलित कालोनियों में यातायात प्रबन्ध होना चाहिए ।
- अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए विशेष अंग्रेज़ी कोचिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा ।
- कम्प्यूटर में क्रेश कोर्स प्रदान किया जाएगा ।
- अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए बनाए गए सभी आवासीय स्कूलों और छात्रावासों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जाएगी ।
- प्रत्येक उपखण्ड में सभी आधुनिक संरचना और सुविधायुक्त छात्रावास सहित अच्छे स्कूल होने चाहिए।
- छात्रावासों की दरें एक समान होनी चाहिए तथा आईआईटी, दिल्ली/एम्स, दिल्ली में लागू दर को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए जैसा कि अन्य शहरी/उप शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में दरें प्रदान की जाती हैं जो कि दिल्ली, मुम्बई और अन्य महानगरों की तुलना में अत्यधिक कम होती है ।
- छात्रावासों की सुरक्षा और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों की तैनाती स्थाई होनी चाहिए ।
- यह देखा गया है कि छात्रावास विभिन्न सरकारी संस्थानों नामतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के संरक्षण के अधीन चलाए जाते हैं । यह सुझाव दिया जाता है कि देश में सभी शैक्षणिक छात्रावासों की देखभाल की जिम्मेदारी एक नोडल एजेंसी/मंत्रालय को दी जाए ।
- सम्पूर्ण देश में छात्रावासों के क्रियाकलापों को देखने के लिए एक मॉनीटरिंग समिति स्थापित की जानी चाहिए ।
- छात्रावास की राशि मूल्य सूचकांक से जुड़ी होनी चाहिए और इसे मूल्य वृद्धि के साथ आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए । उप कुलपति और विभागों के प्रमुख अनुसूचित

समुदायों से होने चाहिए ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के हितों को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके ।

- अत्याचार के पीड़ितों के बच्चों को स्कूलों/कॉलेजों में दाखिले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनकी शैक्षणिक लागत पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए ।
- सरकारी स्कूलों की संरचना को मजबूत किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति अध्यापक, जिनके पास उत्तम शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, उन्हें विशेष प्रोत्साहन के साथ नियुक्ति दी जानी चाहिए ताकि सरकारी स्कूलों में उत्तम शिक्षा को सुनिश्चित किया जा सके ।
- यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अध्यापकों के बच्चे आवश्यक रूप से उसी सरकारी स्कूलों में अध्ययन करें जिससे ऐसे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी ।

विषय सं. 5: <u>अनुसूचित जातियों का राजनैतिक सशक्तिकरण</u>

प्रस्तावना:

लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, पंचायती राज संस्थानों और नगर निगमों में आरक्षण प्रदान करके अनुसूचित जातियों को बढ़ती हुई राजनैतिक प्रतिभागिता और राजनैतिक गतिशीलता प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त, अब अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि गांव से केन्द्रीय सरकार तक हैं । मंत्री, राज्यपाल, लोक सभा अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति भी अनुसूचित जाति से थे । यह अन्तर्निहित तर्क है कि अधिक सशक्तिकरण अधिक जवाबदेही को भी अनुमति प्रदान करता है । अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सशक्त करने का कार्य और उनके अपने विकास पर अधिक नियंत्रण प्रदान करना दोनों बारीकी से जुड़े हैं तथा इसे सुदृढ़ बनाते हैं । उत्तरदायी और जिम्मेदार सरकारी संस्थान बनाने का कार्य करना जो कि अनुसूचित जाति के लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकती है । यह समावेशी राजनैतिक संस्थानों के विकास का भी समर्थन करती है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों के हितों का अर्थपूर्ण तरीकों से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है । उदाहरणार्थ सूचना की पहुंच नागरिकों की योग्यता की एक महत्वपूर्ण पूर्व स्थिति है ताकि निर्णय निर्माताओं को उत्तरदायी बनाया जा सके । मुक्त और स्वतंत्र मीडिया, सामाजिक और राजनैतिक समाज भी उत्तरदायित्व की मांग को सशक्त कर सकता है । वे सामाजिक तंत्र में सूचना एकत्रित करके और विश्लेषण करके नागरिक वचनबद्धता और सूचना की वकालत प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । यह सामान्यत: बहस की जाती है कि नीतियों के विकास में निर्णय लेने में प्रतिभागिता और नीति बनाने की प्रक्रिया में समर्थन करने वाले लोगों को प्रभावित करना गंभीर है जो कि अनुसूचित जाति के हितों और आवश्यकताओं को दर्शाती है । अनुसूचित जाति के लोगों को सशक्त करना और राज्य उत्तरदायित्व और जवाबदेही को सुधारने में राजनैतिक प्रतिभागिता को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण तरीका है । दो दशक पहले भारत सरकार स्थानीय सरकारी स्तर पर आरक्षण के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों और महिलाओं को राजनैतिक रूप से सशक्त करना चाहती है । अध्ययनों की भूल-भुलैया और अनुसूचित जातियों के लोगों के अनुभव के कारण राजनैतिक

सशक्तिकरण के नेतृत्व में खामियां पाई जाती हैं । उनकी अयोग्यताओं को या तो निपुणता, ज्ञान, शिक्षा के अभाव के कारण और व्यक्तिगत स्तर पर विश्वास या संस्थानिक स्तर पर संसाधनों और अवसरों के लिए दबाव का सामना करने पर आलोचना की जाती है ।

हमें अनुसूचित जाति की महिला नेताओं को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में सभी अन्य महिलाओं की आवाज बनाने के लिए विकसित करना है ताकि वर्तमान शक्ति संबंधित व्यक्तियों से प्रश्न पूछे जा सके । हमें अनुसूचित जाति के नेताओं की अर्थपूर्ण प्रतिभागिता को उनकी नेतृत्व और राजनैतिक प्रक्रियाओं पर आधारित ज्ञान को विकसित करके सुविधा प्रदान करनी चाहिए और चुनाव लड़ने और अभियान चलाने और रणनीति विकसित करने की निपुणता प्रदान करनी चाहिए । हमें अनुसूचित जाति के नेताओं, विशेष रूप से महिला नेताओं को नवीन नेटवर्क बनाने में सहायता करनी चाहिए और मुद्दों पर आधारित बातचीत के लिए वर्तमान अनुसूचित जातियों के नेटवर्क को सशक्त करना चाहिए ।

अनुसूचित जातियों के राजनैतिक सशक्तिकरण को विकसित करने के कार्यक्रम को पांच स्तरों पर क्रियान्वित किया जाएगा:

गांव/ब्लॉक स्तर पर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की क्षमता बनाना ।

जिला स्तर पर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की क्षमता बनाना ।

राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की क्षमता बनाना ।

विभिन्न राजनैतिक संगठनों पर ।

नेटवर्क बनाने के लिए क्षेत्र स्तर पर चल रहा समर्थन ।

समूह विचार-विमर्श के दौरान सभी प्रतिभागियों ने इस विषय पर अपने विचार और सलाह व्यक्त की । समूह की ओर से जूएनयू से श्री डॉ. प्रेम चन्द ने समेकित प्रस्तुतिकरण किया । समूह द्वारा दिए गए सुझाव/सिफारिश निम्नानुसार हैं:-

- जाति के निर्वाचित सदस्यों के सशक्तिकरण में दबावों को पहचान कर साथी जाति के पुरुषों और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।
- सभी स्तरों (लोक सभा, विधान सभाओं, पीआरआई और नगर निगमों) पर विकास और सशक्तिकरण की कार्यसूची को आगे रखने में निर्वाचित अनुसूचित जाति की महिलाओं की भूमिका की विशेष रूप से जांच की जानी चाहिए ।
- असमान सशक्तिकरण और बेहतर जीवन की प्राप्ति के लिए कुछ अनुसूचित जातियों की कम प्रतिभागिता के कारणों की पहचान करनी चाहिए ।

- यह आशा की जाती है कि निर्वाचित अनुसूचित जाति के व्यक्ति नीति बनाने की प्रक्रिया और क्रियान्वयन को प्रभावित करने के योग्य हैं । क्योंकि निर्वाचित सदस्य को उनके समुदाय में नियमित रूप से जोड़ा जाना है, वे उनके लिए बनाई गई कल्याण योजनाएं और उनके अधिकारों के विषय में जागृत है । इसलिए सशक्तिकरण के वातावरण को निर्वाचित सदस्यों और अधिकतर समुदाय के लिए सृजित किया है ।
- प्रत्येक राजनैतिक संगठनों में अनुसूचित जाति के नेताओं का प्रभावी प्रस्तुतिकरण और उनकी भूमिका विस्तृत होनी चाहिए ।
- संगठनात्मक राजनीति में अनुसूचित जाति के नेताओं को शामिल करना और उन्हें महत्वपूर्ण कार्य वितरित करना ।
- अनुसूचित जाति के नेताओं के सशक्तिकरण के लिए मीडिया अनावरण महत्वपूर्ण है ।
- प्रत्येक राजनैतिक दल में उनके मीडिया पैनल पर प्रवक्ता के रूप में कुछ अनुसूचित जाति के नेता अवश्य होने चाहिए ।
- अनुसूचित जाति के मंत्री, संसद सदस्य और विधान सभाओं के मंत्रियों और सभी राजनैतिक नेताओं को अपने समुदाय के सदस्यों को निजी सहायक और निजी सचिव के पद पर तथा अनुसचिवीय स्टाफ के रूप में प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों तक पहुंच आसान हो सके ।
- सरकार को केन्द्र और राज्य स्तर पर विभिन्न समितियों में अनुसूचित जाति के युवा नेताओं को नियुक्त करना चाहिए ।
- राजनैतिक प्रतिभागिता के लिए उनकी विस्तृत और प्रभावी भूमिका के लिए कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/गांवों/नगर निगमों से अनुसूचित जाति के नेताओं को पकड़ना चाहिए । उन्हें न केवल आरक्षित सीटों पर स्थान प्राप्त करना चाहिए बल्कि सामान्य सीटों पर उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए ताकि वे राजनैतिक प्रतिभागिता का औजार बनें और राजनैतिक शक्ति के लिए प्रभावी बातचीत करें ।
- सरकार में विभिन्न मामलों पर केबिनेट मामलों की समिति की तरह दलित मामलों पर एक समिति होनी चाहिए ।
- महिला नेताओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उन्हें बिना भय के कार्य करना चाहिए ।
- राज्य सभा में भी अनुसूचित जातियों के लिए पर्याप्त प्रस्तुतिकरण होना चाहिए ।
- अनुसूचित जातियों के सेवारत कर्मचारियों के लिए लड़ने वाले संगठनों को संबंधित संस्थानों/संगठनों के स्थान पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए।
- जिला/राज्य/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत अनुसूचित जाति के नेताओं को पार्टी में उपयुक्त स्थान और सम्मान दिया जाना चाहिए जो कि पार्टी के पद में प्रायः नहीं पाया जाता है और सम्पूर्ण अनुसूचित जाति पार्टी कार्यकर्ताओं को सशक्त करना अनिवार्य है । उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां प्रदान करके पार्टी में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान करके सशक्त करना चाहिए । अनुसूचित जातियों के लिए समान नियुक्तियों की लेखा परीक्षा होनी चाहिए ।

- राजनैतिक दलों को उनके अपने अनुसूचित जाति के पार्टी कार्यकर्ताओं/नेताओं को सशक्त करने की आवश्यकता है । दलों को अनुसूचित जातियों को उप-जाति आधार पर विभाजित नहीं करना चाहिए परंतु उन सभी अनुसूचित जातियों को एक साथ एक छत के नीचे एकत्रित करना चाहिए ।
- राजनैतिक दलों को अनुसूचित जातियों को वोट बैंक के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

विषय सं. 6: <u>अनुसूचित जातियों और विशेष रूप से दलित महिलाओं पर अत्याचार पर प्रभावी रोकथाम</u>

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध पर कुछ वर्तमान विधान

(i) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 ।

(ii) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 संविधान के अनुच्छेद 17 को आगे बढ़ाकर अस्पृश्यता को समाप्त करने और इसका किसी रूप में प्रयोग को समाप्त करने के लिए लागू किया गया । इसके उपरान्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बनाया गया जिसमें विशेष रूप से अपराधों को विनिर्दिष्ट किया गया है और प्रत्येक अपराध के विरुद्ध इसकी प्रकृतिवार नियमावली, 1995 के अधीन आर्थिक क्षतिपूर्ति/राहत भी निर्धारित की गई ।

(iii) हाथ से मैला ढोने वालों के रोज़गार और शुष्क शौचालय का निर्माण (निवारण) अधिनियम, 1993 को वर्ष 2012 में संशोधित किया गया । महाराष्ट्र देवदासी प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 2005 । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इसकी जांच/छानबीन के माध्यम से पुलिस जांच में विभिन्न खामियों को पाया है । अत्याचार पीडित को सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । यदि एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इसकी जांच की प्रक्रिया के दौरान भी पीड़ित को परेशानियों से गुजरना पड़ता है ।

प्रेरक व्यक्तित्व

श्री कांशीराम

कांशी राम (मार्च 15, 1934– अक्तूबर 9, 2006) एक भारतीय राजनीतिज्ञ और अनुसूचित जातियों के सच्चे हितकारी थे। उन्होंने भारतीय समाज की परंपरागत रूप से निम्न जातियों के विकास और उनको मुख्यधारा में लाने के प्रयोजनार्थ तथा उनके साथ होने वाले अत्याचारों और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति के लिए एक राजनैतिक पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी बनाई। इस पार्टी का नेतृत्व उन्होंने सुश्री मायावती को दिया। पार्टी को पर्याप्त लोकप्रियता हासिल हुई और 1985 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और मायावती राज्य की मुख्य मंत्री बनी।

आरंभिक जीवन

कांशी राम का जन्म पंजाब के रोपड़ जिले के ख्वासपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हरी सिंह और माता का नाम बिशन कौर था। ये रामदासिया समुदाय के थे जो पंजाब में सबसे बड़ी संख्या में है।

इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध रोपड़ में राजकीय महाविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि हासिल की थी।

करिअर

कांशी राम ने पुणे में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के हाई एनर्जी मैटीरियल्स रीसर्च लेबोरेटरी में कार्य किया था। अपने कार्यकाल के दौरान 1965 में वे बी.आर. अंबेडकर के जन्म दिवस पर संस्मारक अवकाश को समाप्त करने का विरोध करते हुए भारत सरकार के अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण असोसिएशन से जुड़ गए।

राजनैतिक जीवन

1978 में उन्होंने बी ए एम सी ईई– पिछड़ा (अजा/अजजा एवं अपिव) एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ बनाया। बी ए एम सी ईई पूर्णतया गैर–राजनैतिक, गैर–धार्मिक संगठन था। कालान्तर में उन्होंने डी एस 4 नाम से एक ओर सामाजिक संगठन बनाया। सन् 1981 में उन्होंने दलितों को एक करने के प्रयास करने आरंभ कर दिए और 1984 तक उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गटन कर दिया। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की 1 उन्होंने होशियार पुर चुनाव क्षेत्र से 11वीं लोक सभा का प्रतिनिधित्व किया। कांशीराम उत्तर प्रदेश में इटावा से लोक सभा के सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। 2001 में उन्होंने कुमारी मायावती को उनके उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया।

अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से उन्होंने जनता के बीच आना बंध कर दिया और दो वर्षो से अधिक की अवधि के लिए वे बिस्तर पर रहे।

9 अक्तुबर, 2006 को नई दिल्ली में उनका देहान्त हो गया। उनकी इच्छानुसार उनका अंतिम संस्कार बुध परम्पराओं के अनुसार किया गया ।

–गोत– इन्टरनेट

तालिका 1: अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के आंकड़े

	वर्ष	अजा	अजजा	अन्य समूह
साक्षरता दर (ग्रामीण) %	2007-08	60.5	58.8	76.9
साक्षरता दर (शहरी) %		74.9	78	89.9
ग्रामीण वर्तमान दैनिक बेरोजगारी दर की स्थिति	2007-08	11.9	7.5	8.4
बीएमआई सहित महिलाएं < 18.5 (%)	2005-06	41.2	46.6	29.3
महिलाओं में अरक्तता (%)	2005-06	58.3	68.5	51.2
शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000)	2005-06	66.4	62.1	48.9
पक्के मकानों वाले परिवारों का (%)	2008-09	38.3	39.5	66.1
परिवार जिनके मकान में बिजली है	2008-10	61.2	18.8	75

-ोत: योजना पत्रिका जनवरी, 2014

शैक्षिक जानकारी

एस.ए.एफ. मदनजीत सिंह छात्रवृत्तियां:

एस.ए.एफ. डिस्टेंट लर्निंग अकडेमिक काउंसिल ऐसे विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा एंड वोकेशनल प्रशिक्षण में एस.ए.एफ. मदनजीत सिंह वार्षिक छात्रवृत्तियां प्रदान करती है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं । ये छात्रवृत्तियां स्काउट एसोसिएशनों और ए.ए.एफ. संबद्ध एस.ओ.एस. विलोजिया से वंचित युवकों सहित भारतीय विद्यार्थियों को आबंटित की जाती है । आवेदक की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं हो । उनका चयन उनके शैक्षिक रिकार्ड तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है । जबकि संस्थागत आधार पर जेंडर समानता और एथिनिक संतुलन कायम रखा जाता है । इसके अतिरिक्त, ब्योरा निम्नलिखित पतों में किसी भी पते से प्राप्त किया जा सकता है:-

मुख्य, एस.ए.एफ. छात्रवृति समन्वयक: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068,

भारत पेट्रोलियम लिमिटेड

उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है जिन्होंने सर्वतोमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने का जज्बा रखते हैं । योजना 25 वर्ष की आयु के उन भारतीय विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग, विज्ञान या वाणिज्य में कम से कम 70% और आर्ट स्ट्रीम में 65% अंक प्राप्त किए हों । विद्यार्थी का भारत या विदेश में किसी भी प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में दो वर्षों की अवधि के फाइन आर्ट को छोड़कर शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में किसी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में सम्पुष्ट प्रवेश हो । भारत में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी जिन्होंने शैक्षिक वर्ष के लिए प्रवेश लिया हो । विदेश के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में उच्चतर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी जिनके लिए फरवरी/मार्च में शुरु होने वाले सत्र के लिए प्रवेश की सम्पुष्टि हो

एनसीसी कैडेट वेलफेयर सोसायटी:

सीनियर डिवीजन/सीनियर विंग कैडेट और जूनियर डिवीजन/जूनियर विंग उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक वर्ष एनसीसी कैडेट वेलफेयर सोसायटी फंड में से प्रत्येक मेघावी एनसीसी कैडेटों को 5,000/- रुपए की 500 छात्रवृत्तियां प्रदान करती है ।

पात्रता: सीनियर डिवीजन- विंग कैडेट

(i) सीनियर डिवीजन/विंग की छात्रवृत्ति उन कैंडेटों को प्रदान की जाती है जो पोलिटेक्निक में डिप्लोमा कोर्स या स्नातक डिग्री परीक्षा के द्वितीय वर्ष में पास हों । छात्रवृत्तियों की उपलब्ध कुल संख्या विज्ञान और कला-वाणिज्य विषयों में बराबर विभाजित की जाती है बशर्ते कि प्रत्येक विषय में पर्याप्त संख्या में आवेदन उपलब्ध हों ।

(ii) आवेदक को अनुकरणीय शिक्षण के साथ प्रत्येक वर्ष कम से कम 80% उपस्थिति सहित नियमित कम से कम दो वर्ष के लिए सीडी/एसडब्ल्यू के रूप में एनसीसी में प्रशिक्षण होना चाहिए ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के आवेदकों को 5% अंकों की छूट दी जाती है । अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आवेदन के साथ एक प्रमाण-पत्र लगाना होगा जिसका नमूना संबंधित NCCG HQ से प्राप्त किया जा सकता है ।

पात्रता शर्तों और अधिक ब्योरे के लिए अपने एनसीसी यूनिट से सम्पर्क करें ।

खंड–VI

साहित्य एवं संस्कृति

सतरंगी त्योहार – होली

बसंत ऋतु के आते ही राग, संगीत और रंग का त्योहार होली, खुशियां भाईचारे के संदेश के साथ अपने बिरंगी आंचल में सबको ढक लेती है । हिन्दुओं का यह प्रमुख त्योहार होली हिन्दु पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है । इस पवित्र त्योहार के संदर्भ में यूं तो कई कथाएं इतिहासों और पुराणों में वर्णित है । परन्तु हिन्दु धर्म ग्रन्थ विष्णु पुराण में वर्णित प्रहलाद और होलिका की कथा सबसे ज्यादा मान्य और प्रचलित है ।

एक प्रचलित कथानुसार श्रीहरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप नास्तिक और निरंकुश था । उसने अपने पुत्र से विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा परन्तु अथक् प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हो सका । तदुपरांत हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की भक्ति को देखते उसे मरवा देने का निर्णय लिया । लेकिन अपने पुत्र को मारने की उसकी कई कोशिशें विफल रही । इसके बाद उसने यह कार्य अपनी बहन होलिका को सौंपा । होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह कभी जल नहीं सकती । होलिका अपने भाई के कहने पर प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ गई लेकिन इस आग में प्रहलाद तो जला नहीं पर होलिका जल गई । तभी से इस त्योहार के मनाने की प्रथा चल पड़ी । इसी घटना के स्मरणस्वरूप लोग होली की पिछली रात को होलिका जलाते हैं और अगले दिन रंग और गुलाल से एक-दूसरे के साथ होली खेलते हैं ।

होली के अवसर पर सतरंगी रंगों के साथ सात सुरों का अनोखा संगम देखने को मिलता है । इस दिन रंगों से खेलते समय मन में खुशी, प्यार और उमंग छा जाते हैं और अपने आप तन मन नृत्य करने को मचल जाता है । दुश्मनी को दोस्ती के रंग में रंगने वाला त्योहार होली देश का एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे देश के सभी नागरिक उन्मुक्त भाव और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते हैं । इस त्योहार में भाषा, जाति और धर्म की सभी दीवारें गिर जाती हैं जिससे समाज को मानवता का अमूल्य संदेश मिलता है ।

विज्ञान–

मानव क्लोनिंग

सभी प्राणियों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। हर कोशिका में एक केन्द्रक होता है। मानव की कोशिका के केन्द्रक में डीएनए अणु से बने गुण सुत्रों के 23 जोड़े (कुल 46) गुणसूत्र होते हैं। संतान में पहुंचने वाली सभी अनुवांशिक सूचनाएं डीएनए के घटकों में मौजूद रहती हैं। प्रजनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाली विशिष्ट कोशिकाएं, जिन्हें जननिक कोशिकाएं कहते है, भाग लेती हैं। माता और पिता के पक्ष की जब दो अर्धसूत्री जननिक कोशिकाएं आपस में संयोजित होती हैं तो उनके मेल से बनने वाली नई कोशिका में पूरे 46 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं और जो रचना बनती है वह यूग्मजन कहलाती है, यही युग्मजन गर्भ में समय के साथ विभाजित और विकसित होते हुए अंततः नये जीवन के रूप में जन्म लेता है।

क्या आप जानते हैं–

अन्तरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कुता था।
पालिम जानवर के कंकाल से मूंगा बनता है।
वोल्कस्वाजेन कार का उपनाम बीटल या बग रखा गया है।

अधिवर्षिता पर सेवानिवृति

31 जनवरी, 2014

1. श्री चन्द्र प्रकाश कत्याल, उप सचिव
2. श्री आसकरन राम, दफ्तरी

उपर्युक्त अधिकारियों को आयोग के सचिव महोदय ने आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से उपहार प्रदान किए और उन्हें भावभीनी विदाई दी।

28 फरवरी, 2014

श्रीमती सरला धवन, निजी सचिव

उपर्युक्त अधिकारी को आयोग के निदेशक महोदय के कर–कमलों द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से उपहार प्रदान किए गए और उन्हें भावभीनी विदाई दी गई।

Dr.Ambedkar Foundation (An Autonomous Organization of the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India) invites nominations for Dr. Ambedkar National Award, 2012 and 2013. This Award is given for Social Understanding and upliftment of Weaker Sections.

The Award carries a cash prize of Rs.10 lakh (Rupees Ten Lakh) and a Citation.

Nominations can be made by the Ministries of the Government of India, State Government/Union Territory Administrations, Members of Parliament, Past recipients of the Award, Former Members of the Award Jury, Vice Chancellors of Universities and Social Organisations and Non-Government Organisations.

Nominations must be sent in the prescribed format, either in Hindi or English only.

For more information, contact:

The Director, Dr. Ambedkar Foundation, 15, Janpath, New Delhi-110001.

- Source

निवेदन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (मुख्यालय) एवं इसके राज्य कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने अनुभागों, स्कन्धों व व्यक्तिगत तथा परिवार की उपलब्धियों से सम्बधित विशिष्ट विवरण हिन्दी अनुभाग में अवश्य उपलब्ध कराएं। प्राप्त उपलब्धियों को अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा।

हमारा पता–

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
हिन्दी अनुभाग
कमरा नं. 314 ए-1, तृतीय तल,
लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003.